

010

14

## न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-692 / 2022-23

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्रीमती सुभाषिनी पूर्ति.....आवेदक/विक्रेता

सुश्री आशा गुड़िया.....क्रेता

बनाम

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख :										
02.03.2024	<p><b>आदेश</b></p> <p>आवेदिका श्रीमती सुभाषिनी पूर्ति पति श्री हुदवा नाग ग्राम-तिरला, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <p><b>भूमि का विवरण</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>कमन्ता</td><td>79</td><td>49</td><td>172</td><td>0.16</td></tr></tbody></table>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	कमन्ता	79	49	172	0.16	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
कमन्ता	79	49	172	0.16								
	<p>आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदिका श्रीमती सुभाषिनी पूर्ति पति श्री हुदवा नाग ग्राम-तिरला, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता सुश्री आशा गुड़िया पिता श्री जोसेफ गुड़िया ग्राम-कदमा, पो०+थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते है।</p> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं० 0232398008 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 29 दिनांक 12.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदिका की खरीदगी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम मागु मुण्डा वगैरह है। आवेदिका पंजी II रैयत स्वयं है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 3 के पृष्ठ सं० 367 पर जमाबंदी दर्ज है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण</p>											

5  
कार्य हेतु बिक्री करना चाहते हैं।  
अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं  
क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता  
एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के  
सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 100 दिनांक 05.09.2023 के साथ अंचल  
अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2022/488915 दिनांक  
16.12.2022 वी आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2022/735770 दिनांक 16.12.2022  
एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न  
है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों  
अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी,  
खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 29 दिनांक 12.01.2024 के माध्यम से  
प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार  
पर आवेदिका श्रीमती सुभाषिनी पूर्ति पति श्री हुदवा नाग ग्राम-तिरला, थाना-खूँटी,  
जिला-खूँटी को क्रेता सुश्री आशा गुड़िया पिता श्री जोसेफ गुड़िया ग्राम-कदमा,  
पो०+थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम कमन्ता के खाता सं० 49, खेसरा संख्या  
172, कुल रकबा 0.16 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के  
द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय  
की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।